GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-*84
ANSWERED ON- 09/02/2021

NPAs IN METALS, MINING AND ENGINEERING SECTORS

*84. SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:-

(a) whether Government is aware of the fact that the RBI Financial Stability Report points out that the problem areas in terms of non-performing assets (NPAs) still remain in the metals, mining and engineering sectors where the ratios are above 25 per cent while construction, gems and jewellery and the auto sectors follow next with ratios of 21.8 per cent, 21.5 per cent and 18.4 per cent, respectively;

(b) if so, whether Government has taken any steps in this regard to address NPAs in the aforementioned sectors; and

(c) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANURAG SINGH THAKUR):

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

***

Statement as referred to in reply to Rajya Sabha Starred Question no. *84 for answer on 9th February, 2021/ Magha 20, 1942 (Saka) regarding "NPAs in metals, mining and engineering sectors" by SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI, Hon'ble Member of Parliament

(a) to (c): The Financial Stability Report — January 2021 of the Reserve Bank of India (RBI) has no reference regarding problem areas in terms of non-performing assets (NPAs) in the metals, mining and engineering sectors. As per the report, the gross NPA ratios of the Scheduled Commercial Banks (SCBs) for these sectors, as on 30.9.2020, are below 25% and the respective ratios stood at 12.6%, 15.6% and 19.4%. Further, the gross NPA ratios of SCBs, as on 30.9.2020, for the construction, gems and jewellery and automobile sectors were 21.5%, 24.1% and 8.3% respectively.

Loan accounts become non-performing due to a variety of factors, which may be economy-wide or specific to a sector or a firm. Appropriate monetary policy, fiscal policy and regulatory measures are taken from time to time to address economy-wide and sector-specific issues with a view to achieve macroeconomic goals and secure financial stability. In the context of economic slowdown, the impact of the pandemic and the need to support post-pandemic recovery, comprehensive measures have been taken under Government's Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan economic package, RBI's COVID-related regulatory package and revival framework to mitigate the pandemic's impact on borrowers, ensure business continuity and facilitate revival of real sector activities and the steps announced by RBI in its Monetary Policy Statements. These include, *inter alia,* the following:

(a) RBI has provided a framework for lenders to implement resolution plans in respect of eligible loans to corporates and micro, small and medium enterprises (MSMEs), to enable lending institutions to offer customised relief to borrowers in the form of restructuring, without downgrading the loan as an NPA. Such restructuring may entail the grant of various concessions to the borrower in terms of altering the total amount to be repaid, instalment amounts and the rate of interest, extending moratorium and/or the residual periods of repayment, waiving penal interest and charges, converting the accumulated interest into a fresh loan with a deferred payment schedule, and sanction of additional loan.

(b) For 26 sectors identified by the Kamath Committee as having visible impact of the pandemic, RBI has prescribed certain financial parameter ranges for the aforesaid resolution plans. These ranges are typically more liberal than the benchmark ranges generally adopted by leading banks such as State Bank of India, and thus enable lending institutions to offer higher sector-specific relief for deep/comprehensive restructuring. Metals, mining, construction, gems and jewellery and automobile sectors are among these sectors.

(c) The debt servicing burden for borrowers has been substantially reduced due to reduction in the benchmark policy rate and various liquidity enhancing measures taken by RBI, which have resulted in reduction in the monthly average weighted

average lending rate by 1.14% on fresh Rupee loans of SCBs over the period from March 2020 to December 2020 and by 0.73% on outstanding Rupee loans of SCBs over the same period.

(d) A significant proportion of enterprises in the gems and jewellery, construction, automobile, metals and engineering sectors are MSMEs. The following measures have been taken to support MSMEs:

(i) A liberal restructuring scheme for MSMEs with loan exposure of up to Rs. 25 crore has been introduced by RBI, offering the entire MSME sector sector-specific relief.

(ii) A scheme for emergency credit line of up to Rs. 3 lakh crore, backed by 100% Central Government guarantee, has been launched for MSMEs and other enterprises with turnover of up to Rs. 250 crore for additional funding of up to 20% of the fund-based outstanding as on 29.2.2020, subject to a maximum of Rs. 10 crore. A higher maximum of Rs. 100 crore has been allowed for additional funding in 27 specified sectors, which include the metals, mining, construction, gems and jewellery and automobile sectors. Till 25.1.2021, Rs. 2.39 lakh crore have been sanctioned under this scheme.

(iii) Government has issued instructions for release of payment of receivables of MSMEs by Government Departments and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) within 45 days.

(e) The following measures have been taken to support the construction sector:

(i) Government has issued an advisory for extension of registration and completion dates of real estate projects under Real Estate Regulatory Authorities by treating COVID-19 as an event of *force majeure*.

(ii) For loans to the commercial real estate sector, additional time of one year has been given for extension of the date for commencement for commercial operations.

(iii) The Credit-linked Subsidy Scheme for Housing under Pradhan Mantri Aawas Yojana (Urban) has been extended by one year (till 31.3.2021), providing subsidy for purchase of residential real estate.

(f) To enable contractors to participate in tenders, Government has issued an advisory to CPSEs to reduce performance security to 3%, from the existing 5% to 10%, of the value of the contract for all existing contracts. This has helped such contractors in, among others, the metals, mining, engineering and construction sectors.

***

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *84
जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2021/20 माघ, 1942 (शक) को दिया गया

धातु, खनन और अभियांत्रिकी क्षेत्रों में अनर्जक आस्तियां

84. श्री भास्कर राव नेक्कांतिः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता संबंधी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि धातु , खनन और अभियांत्रिकी क्षेत्रों में अभी भी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की समस्या बनी हुई है जहां एनपीए का अनुपात 25 प्रतिशत से अधिक है जबकि निर्माण , हीरे-जवाहरात और ऑटो क्षेत्रों में इनसे कम अनर्जक आस्तियां क्रमशः 21.8 प्रतिशत, 21.5 प्रतिशत और 18.4 प्रतिशत के अनुपात में हैं;

(ख) यदि हां , तो क्या सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों में अनर्जक आस्तियों की समस्या के समाधान की दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"धातु, खनन और अभियांत्रिकी क्षेत्रों में अनर्जक आस्तियां" के संबंध में श्री भास्कर राव नेक्कांति, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए 9 फरवरी, 2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *84 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जनवरी 2021 में धातु, खनन तथा अभियांत्रिकी क्षेत्र में अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) के संबंध में समस्याग्रस्त क्षेत्रों का कोई उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 30.9.2020 की स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए अनुपात 25% से कम है तथा ये अनुपात क्रमश: 12.6%, 15.6% तथा 19.4% पर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.9.2020 की स्थिति के अनुसार एससीबी का सकल एनपीए अनुपात विनिर्माण, रत्न और आभूषण क्षेत्रों तथा आटोमोबाइल क्षेत्रों के लिए क्रमश: 21.5%, 24.1% तथा 8.3% है।

ऋण खाते कई कारकों के कारण अनुप्रयोज्य हो जाते हैं, जो समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित अथवा किसी क्षेत्र अथवा फर्म विशिष्ट हो सकते हैं। समस्त अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु समय-समय पर उपयुक्त मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति तथा विनियामकीय उपाय किए जाते हैं ताकि मैक्रोइकोनोमिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। आर्थिक मंदी, महामारी के प्रभाव तथा महामारी के पश्चात रिकवरी हेतु सहायता की आवश्यकता के संदर्भ में सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के अंतर्गत व्यापक उपाय किए गए हैं तथा कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने और रियल क्षेत्र के कार्यकलापों को पुन: आरंभ करने को सुकर बनाने हेतु उधारकर्ताओं पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा कोविड संबंधी विनियामकीय पैकेज लाए गए, पुनरुज्जीवन संरचना की गई तथा आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति विवरण के माध्यम से कदम उठाए गए। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) आरबीआई ने उधारकर्ताओं को उनके ऋण को एनपीए के रूप में निम्नतर किए बिना पुनर्संरचना के रूप में समुचित राहत प्रदान करने के लिए उधारदात्री संस्थाओं को कारपोरेट तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को उपयुक्त ऋण देने के लिए समाधान योजना को लागू करने के लिए उधारकर्ताओं के लिए एक संरचना उपलब्ध कराई है। ऐसी पुनर्संरचना में चुकाई जाने वाली पूरी राशि, किस्त की राशि तथा ब्याज की दर को परिवर्तित करना, अधिस्थगन की सुविधा देना और/या भुगतान की अवशिष्ट अवधि, दंडात्मक ब्याज और प्रभार को माफ करना, लंबित भुगतान समय-सीमा के साथ संचित ब्याज को नए ऋण में परिवर्तित करना तथा अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करना शामिल है।

(ख) 26 क्षेत्र, जिनकी पहचान कामथ समिति ने वैसे क्षेत्र के रूप में की है जिन पर महामारी का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है, के संबंध में आरबीआई ने उपर्युक्त समाधान योजनाओं के लिए कुछेक वित्तीय मानदण्डों की सीमाएं निर्धारित की हैं। ये सीमाएं मूलत: उधार देने वाले बैंकों, जैसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सामान्यतया अपनाए जाने वाले मानदण्ड की तुलना में लचीली हैं और इनसे उधारदात्री संस्थाएं विस्तृत/व्यापक पुनर्संरचना हेतु क्षेत्र विशिष्ट उच्चतर राहत उपलब्ध कराने में समर्थ हुई हैं। इन क्षेत्रों में धातु, खनन, रत्न और आभूषण तथा आटोमोबाइल क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) बेंचमार्क पालिसी दर में कमी किए जाने तथा नकदी बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा मार्च से दिसम्बर 2020 के दौरान एससीबी के नए ऋण (रुपए में) के संबंध में मासिक भारित औसत

उधार दर में 1.14% की कमी करने तथा इसी अवधि के दौरान बकाया ऋण (रुपए में) के संबंध में 0.73% की कमी किए जाने जैसे उपाय करने के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं के ऋण चुकाने के भार में पर्याप्त कमी आई है।

(घ) रत्न और आभूषण, विनिर्माण, आटोमोबाइल, धातु तथा अभियांत्रिकी क्षेत्र के अधिकांश उद्यम एमएसएमई हैं। एमएसएमई को सहायता उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) पूरे एमएसएमई क्षेत्र को क्षेत्र विशिष्ट राहत प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा 25 करोड़ रुपए तक के ऋण एक्सपोजर वाले एमएसएमई के लिए उदार पुनर्संरचना योजना लागू की गई है।

(ii) दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार निधि आधारित बकाया राशि के 20% अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक की आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% गारंटी दी गई है, आरंभ की गई है, 27 निर्दिष्ट क्षेत्रों, जिसमें धातु, खनन, विनिर्माण, रत्न और आभूषण तथा ऑटोमोबाइल शामिल हैं, के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपए सहित एमएसएमई तथा अन्य उपक्रम जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है, के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 25.1.2021 तक 2.39 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

(iii) सरकार ने केन्द्र सरकार के विभागों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 45 दिन के भीतर एमएसएमई के रिसीवेबल के भुगतान को जारी करने का निर्देश दिया है।

(ङ.) विनिर्माण क्षेत्र को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सरकार द्वारा कोविड-19 को एक अप्रत्याशित घटना मानते हुए रियल एस्टेट विनियामकीय प्राधिकरणों के अंतर्गत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण तथा उनके पूरा होने की तिथि को बढ़ाने के लिए एक परामर्श जारी किया गया था।

(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने की तिथि को बढ़ाने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है।

(iii) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवासन के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना को एक वर्ष (दिनांक 31.3.2021 तक) के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीद के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा सके।

(च) निविदा प्रक्रिया में संविदाकारों को भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए सरकार ने सीपीएसई को यह सुझाव दिया है कि सभी मौजूदा संविदा के लिए कार्यनिष्पादन प्रतिभूति, जो वर्तमान में संविदा मूल्य का 5%-10% है, को कम करके 3% किया जाए। इससे अन्य के साथ-साथ धातु, खनन, अभियांत्रिकी क्षेत्र के संविदाकारों को सहायता प्राप्त हुई है।

*****

SHRI K.J. ALPHONS: Sir, in the Budget, it is announced that there is a proposal to transfer all the NPAs to a new institution. In fact, the terminology used is 'bad bank' for all these NPAs. I do not understand as to how does it make sense if all such bad loans are transferred to another institution. I don't think the idea of 'bad bank' is a good idea. What does the Government think about this?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, बड़े लम्बे समय से मांग थी कि Asset Reconstruction Company (ARC) या Asset Management Company को बनाया जाए और इसलिए भी कि बैंकों की लेंडिंग की क्षमता बढ़े, उस दिशा में इस कदम को उठाया गया। इसके साथ-साथ Development Finance Institution बनाने का कदम भी भारत सरकार ने उठाया और उसके लिए बजट में 20 हजार करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान भी किया है। Long term financing भी देश में उपलब्ध हो, उसके लिए DFI को किया गया है। इसके अतिरिक्त UPA के समय भी आप देखें कि उस समय बैंको को जिस तरह से ऋण दिए गए थे, NPA सही सामने नहीं आते थे, उसके बावजूद भारत सरकार ने 2015 में Asset Quality Review करवाया, सही NPA Balance Sheet पर लेकर आए, साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए हमने पिछले 2014 से 2019 तक बैंकों की उसमें recapitalization की।

(**THE VICE-CHAIRMAN**, **DR. SASMIT PATRA**, **in the Chair**)

Amalgamation के माध्यम से 12 बैंकों को, जो public sector banks हैं और उनमें से 11 PCA framework हैं, हम बाहर भी ले आए थे। हमने बैंकों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए लगातार काम किया है। यह कदम भी एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी का है, उसी दिशा में कदम उठाया गया कि बैंकों को और मज़बूत किया जा सके।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, does the Government envisage a situation where the bad banks will overtake the good banks of the country?

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, our banks are doing well. In a country like India, we need more banks and stronger banks. And, as I said, all steps have been taken in the last six years under the able leadership of Prime Minister Modi*ji*, whether to recapitalize the bank or bringing the transparency and accountability into the banking system. As I said earlier, Asset Quality Review has been taking place for all those loans which have been granted in the earlier regime as well.